आवेदन के लिए दिशा-निर्देश

1. समाधान पोर्टल खोलने के लिए अपने वेब ब्राउज़र (जैसे Google Chrome या Mozilla Firefox) में पोर्टल का URL (https://samadhan.haryanadp.gov.in) खोलें।
2. **"पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के नियमितीकरण हेतु आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें"** लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत चुनें।
4. पीपीपी दर्ज करने के लिए फैमिली आईडी, आधार संख्या अथवा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
5. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
6. **"पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के नियमितीकरण के आवेदन हेतु आगे बढ़ें"** बटन पर क्लिक करें।
7. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, **"सहेजें (Save)"** बटन पर क्लिक करें और **सहमति पत्र (Consent Form)** डाउनलोड करें ।
8. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद नागरिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी जाती है।